


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।

निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2017-2018


वित्तीय वर्ष-2017-2018 के लिये जनपद न्यायालय, जौनपुर के पृथक-पृथक अधिष्ठानों में प्रयुक्त होने वाली लेखन सामग्री व स्टेशनरी आदि जिसकी सूची संलग्न है, कि आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मा/दूकानों एवं आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लेखन सामग्री/स्टेशनरी आदि के मद में मु 2,65,440/-रु० की धनराशि व्यय हुयी थी एवं पर्चेजिंग आफ कम्प्यूटर स्टेशनरी मद में मु 2,63,200/-रु० की धनराशि 6 माह में व्यय हुयी थी। आगामी वित्तीय वर्ष-2017-2018 में लेखन सामग्री व स्टेशनरी मद में लगभग मुवलिंग 3,50,000/-रु० एवं पर्चेजिंग आफ कम्प्यूटर स्टेशनरी मद में मु 4,50,000/-रु० की धनराशि की वस्तुओं की आपूर्ति सम्भावित है। निविदा हेतु शर्त निम्नवत् है।

- 1— यह कि अलग-अलग प्रयोजनों के लिये अलग-अलग निविदा बन्द लिफाफे में माननीय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत की जायेगी।
- 2— निविदा की शर्तों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी।
- 3— निविदा की अनुमानित धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि का सावधि जमा प्रमाण-पत्र प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4— प्रत्येक निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक वस्तु आदि की एक प्रति सैम्प्ल के रूप में निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 5— जिन व्यक्ति या आपूर्तिकर्ता की निविदा स्वीकार होगी, उनकी सैम्प्ल की वस्तुएं सुरक्षित रखी जायेगी तथा शेष की सैम्प्ल मय प्रतिभूति वापस की जायेगी।
- 6— निविदा को स्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर को होगा। किसी भी समय आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है।
- 7— जनपद न्यायाधीश महोदय के विभिन्न आदेशों के क्रम में सामग्री या स्टेशनरी की आपूर्ति सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी। समय से आपूर्ति न करने पर अथवा उच्च कोटि की सामग्री न दिये जाने पर बैंक प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 8— उपरोक्तानुसार समस्त निविदाएं दिनांक 04.04.2017 तक केन्द्रीय नजारत में सांय 4.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। इसके उपरान्त सभी निविदाएं दिनांक 06.04.2017 को अध्यक्ष क्य समिति के विश्राम कक्ष में निविदादाताओं की उपस्थिति में सांय 4.30 बजे खोली जायेगी।
- 9— समस्त विवादों हेतु न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, जौनपुर होगा।


 अध्यक्ष क्य समिति,
 जौनपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला सूचना अधिकारी,जौनपुर को नोटिस के निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 2- एन.आई.सी. वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।
- 3- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
- 4- नोटिस बोर्ड कलेकट्रेट न्यायालय पर चर्चा करने हेतु।
- 5- नोटिस बोर्ड जिला पंचायत,जौनपुर पर चर्चा करने हेतु।
- 6- नोटिस बोर्ड नगरपालिका परिषद जौनपुर पर चर्चा करने हेतु।
- 7- नोटिस बोर्ड जिला चिकित्सालय,जौनपुर पर चर्चा करने हेतु।
- 8- नोटिस बोर्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग,जौनपुर पर चर्चा करने हेतु।
- 9- नोटिस बोर्ड बस स्टेशन,जौनपुर पर चर्चा करने हेतु।
- 10- नोटिस बोर्ड रेलवे स्टेशन,जौनपुर पर चर्चा करने हेतु।
- 11- माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।



अध्यक्ष कर्य समिति,
जौनपुर।